मुख्यमंत्री ने अमित शाह से मुलाकात की

भजनलाल ने उन्हें राजस्थान की योजनाओं और विकास परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी

नई दिल्ली/जयपुर, 06 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्री का यमुना जल समझौते के लिए आभार भी प्रकट किया। इस दौरान राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र के सशक्तिकरण, सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास एवं सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने को लेकर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से मुलाकात कर प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने, युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने संबंधी विषयों पर बातचीत की।

उन्होंने इसके बाद केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से भी शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की।

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को दिल्ली में खेल मंत्री मनसुख मांडविया तथा नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू से भी मुलाकात की।

उन्होंने प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी के विस्तार तथा प्रदेश के प्रमुख शहरों को अंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय हवाई नेटवर्क से जोड़ने से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की।

सोडाला से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिका में कहा गया कि शहर के मास्टर प्लान में सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक की सड़क की चौड़ाई 100 फीट है। वहीं न्यू सांगानेर रोड पर विश्वा नगर में 30 फीट चौड़ी सड़क बताई गई है।

पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दुष्कर्म मामले में 10 साल की सजा

पणजी, 06 अगस्त। बंबई उच्च न्यायालय की गोवा खंडपीठ ने गुरुवार को "तहलका" पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उन्हें चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस

- बंबई हाईकोर्ट की गोवा खंडपीठ ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में यह फैसला सुनाया।

अमित जामसांडेकर की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले डिवीजन बेंच ने उत्तर गोवा जिले के सत्र न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया था। सत्र न्यायालय ने मई 2021 में पर्याप्त सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए तेजपाल को बरी कर दिया था। इस फैसले को गोवा सरकार ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। यह मामला नवंबर 2013 का है। तहलका की एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित 'थिंक फेस्ट' कार्यक्रम के दौरान, 7 एवं 8 नवंबर की रात होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने उसके साथ दो बार यौन उत्पीड़न किया था।

जयपुर में व्यावसायिक क्षेत्रों में चल रहे कोचिंग संस्थानों पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई

शीर्ष अदालत ने जेडीए को निर्देश दिये हैं कि 3 सप्ताह में कोचिंग संस्थानों के संचालन और उनके स्थानांतरण से जुड़े सुधारात्मक कदमों की पूरी जानकारी कोर्ट में पेश करे

-कार्यालय संवाददाता-

नई दिल्ली, 6 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर में व्यावसायिक व रिहायशी क्षेत्रों में मास्टर प्लान के विपरीत संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों को लेकर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि कोचिंग संस्थानों के स्थानांतरण के लिए बनाए गए विशेष भवनों (कोचिंग हब) का आवंटन किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को किया गया तो वह इस मामले में आने वाले अंतिम आदेश के अधीन रहेगा। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने जयपुर में मास्टर प्लान के उल्लंघन के विषय में दायर विशेष याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता आर.डी.रस्तोगी और उनके सहायक अधिवक्ता सार्थक रस्तोगी ने भी गोपालपुरा बाईपास पर कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर आवेदन दिया था, जिसे भी अदालत ने इस प्रकरण से जोड़ दिया है।

- गोपालपुरा बाईपास पर संचालित कोचिंग संस्थानों को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता आर.डी. रस्तोगी और उनके सहायक अधिवक्ता सार्थक रस्तोगी द्वारा पेश आवेदन को भी अदालत ने इस मामले से जोड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) को निर्देश दिया कि वह 3 सप्ताह में कोचिंग संस्थानों के संचालन और उनके स्थानांतरण से जुड़े सुधारात्मक कदमों की पूरी जानकारी कोर्ट में पेश करे। अदालत ने जयपुर के मास्टर प्लान के उल्लंघन, निर्धारित उपयोग वाली जमीन के दूसरे कार्यों में इस्तेमाल और जेडीए को समर्पित भूमि पर अतिक्रमण के आरोपों को गंभीर बताते हुए इन्हें 'चौंकाने वाला' और 'गंभीर' बताया। साथ ही जेडीए से जुड़ी अपीलों के लंबे समय से लंबित रहने पर भी नाराजगी जताई और अपीलीय प्राधिकरण को ऐसे मामलों का 2 सप्ताह में निपटारा करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई जेडीए की ओर से सुधारात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद होगी। कोर्ट पहले ही 25 मार्च 2026 के आदेश में मामले का दायरा देशभर तक बढ़ाते हुए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पक्षकार बनाने के निर्देश दे चुका है।

कई नामचीन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वकार चौधरी और सड़क परिवहन प्राधिकरण से सेवानिवृत्त विक्रांत गौतम भी शामिल है। कांग्रेस में शामिल होने वाले अन्य नेताओं में पूर्व पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के कोषाध्यक्ष किशन स्वरूप, आर. के. मेसी, राजेन्द्र प्रसाद विशाप, अमित कुमार, राष्ट्रीय लोक दल की राष्ट्रीय सचिव सावित्री गौतम तथा मेरठ के अरुण बंसवाल शामिल हैं।

आरक्षण विरोधी ऑनलाइन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दुबे ही शिक्षा, नौकरियों तथा अन्य क्षेत्रों में जाति-आधारित आरक्षण के खिलाफ लोगों को संगठित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं।

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, टिप्पणीकार और सार्वजनिक बुद्धिजीवी भी आरक्षण के मुद्दे पर बंटे हुए हैं। कुछ वर्तमान व्यवस्था के पक्ष में हैं, कुछ इसे पूरी तरह समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि आरक्षण केवल अधिक सख्त पात्रता मानदंडों के साथ ही जारी रहना चाहिए।

ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों स्तरों पर आरक्षण विरोधी आवाजें लगातार तेज होती जा रही हैं। यह रुझान भारत में जाति-आधारित आरक्षण को लेकर पहले से ही बेहद संवेदनशील और विभाजनकारी बहस को और अधिक तीखा बना सकता है। ऐसे समय में इसका उभार कई पक्षों के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है।

आरक्षण विरोधी अभियान ऐसे समय में तेज हुआ है, जब कुछ ही सप्ताह पहले सीजेपी के नेतृत्व में चले लंबे आंदोलन का समापन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के साथ हुआ था। इसके बाद यूजीसी के समानता संबंधी नियमों को लेकर देशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए।

सवर्ण समुदाय के लोगों ने इन नियमों को "अनुचित", "अन्यायपूर्ण", "योग्यता के सिद्धांत को कमजोर करने वाला" और "सवर्ण वर्ग को अनुचित रूप से निशाना बनाकर सामाजिक विभाजन को और गहरा करने वाला" बताया। इसी वर्ष फरवरी में सवर्ण समुदाय ने इन नियमों को "काला कानून" करार दिया था।

ये घटनाक्रम केन्द्र और राज्यों की सरकारों के साथ-साथ, सत्ता में मौजूद राजनीतिक दलों के लिए भी नई चुनौतियां पैदा कर सकते हैं।

देश में चुनावों का व्यस्त दौर सामने है। वर्ष 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी चुनाव होंगे।

इनमें से कई राज्यों, विशेषकर देश के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में, जाति अब भी चुनावी राजनीति का सबसे निर्णायक कारक मानी जाती है। अक्सर कहा जाता है कि नई दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है।

'क्रीमीलेयर का सिद्धांत एससी-एसटी आरक्षण में लागू नहीं हो सकता'

केन्द्र सरकार ने जनहित याचिकाओं के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया

नई दिल्ली, 06 अगस्त। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता।

सरकार ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने और सरकारी नौकरियों में अधिक समान वितरण के लिए नई आरक्षण नीति बनाने की मांग वाली जनहित याचिकाओं का विरोध किया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने यह हलफनामा दाखिल किया है। इसमें कहा गया कि संविधान पीठ के अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ फैसले में स्पष्ट किया गया था कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)/सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के संदर्भ में लागू है, न कि एससी और एसटी पर।

केन्द्र ने कहा कि आय आधारित प्राथमिकता या आरक्षण नीति में किसी भी बदलाव से पहले व्यापक समीक्षा और सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों पर आधारित गहन अध्ययन आवश्यक है। साथ ही, अदालत कार्यपालिका को किसी विशेष तरीके से नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकती, क्योंकि यह

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे में कहा कि संविधान पीठ के अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ फैसले में स्पष्ट किया गया है कि क्रीमीलेयर का सिद्धांत केवल ओबीसी/एसईबीसी के संदर्भ में लागू है।

न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर का विषय है। सरकार ने रामाशंकर प्रजापति एवं अन्य तथा अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिकाओं को कानूनन विचारणीय न बताते हुए खारिज करने की मांग की है।

हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाओं में न तो संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठाया गया है और न ही किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का मामला बनता है। इसलिए ये याचिकाएं संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत स्वीकार्य नहीं हैं। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अधिसूचित एससी और एसटी की सूची में किसी भी जाति या जनजाति को शामिल करने या हटाने का अधिकार केवल संसद को है। राज्य सरकारें, अदालतें या अन्य प्राधिकरण इस सूची में बदलाव नहीं कर सकते।

केन्द्र ने इन सभी याचिकाओं को भ्रामक बताया। सरकार के मुताबिक एससी, एसटी और एसईबीसी के कल्याण से जुड़ी अधिकांश योजनाओं में, सरकारी नौकरियों और शैक्षिणक संस्थानों में आरक्षण को छोड़कर, आय आधारित पात्रता (मीन्स टेस्ट) पहले से लागू है, ताकि लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके।

जैनरेशन ज़ैड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वहीं, विपक्ष वर्तमान स्वरूप में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) संशोधन विधेयक का समर्थन करने को तैयार नहीं है और उसमें बदलाव की मांग कर रहा है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के अनुसार यह विधेयक 12 अगस्त को सदन में पेश हो सकता है, लेकिन फिलहाल विपक्ष इसके पक्ष में नहीं है।

इन सबके बीच सरकार अब भी यह समझ नहीं पा रही है कि नाराज़ युवा छात्र, जिनका सरकार से मोहभंग हो चुका है, उन्हें कैसे हैंडल किया जाए।

फ्रांस ने राफेल विमान भारत में बनाने का प्रस्ताव भेजा

नई दिल्ली, 06 अगस्त। भारतीय वायुसेना की ताकत में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा होने जा रहा है। फ्रांस ने 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए भारत को अपना विस्तृत तकनीकी और व्यावसायिक प्रस्ताव सौंप दिया है। यह विशाल सौदा लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये का है। इस प्रस्ताव की सबसे बड़ी खासियत भारत में ही बड़े पैमाने पर इन लड़ाकू विमानों का निर्माण करना है। फिलहाल रक्षा मंत्रालय का अधिग्रहण विंग और भारतीय वायुसेना फ्रांसीसी प्रस्ताव का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं।

- भारत द्वारा 114 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में फ्रांस को 94 राफेल जेट का निर्माण भारत में करना होगा।

इस डील की सबसे मजबूत कड़ी भारत की आत्मनिर्भरता है। फ्रांस को 114 में से 94 राफेल जेट भारत में ही तैयार करने होंगे। इसके लिए फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारतीय औद्योगिक साझेदारों के साथ हाथ मिलाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में फ्रांस की शीर्ष रक्षा कंपनियां, मिसाइल निर्माता एमबीडीए, इंजन निर्माता सफरान और इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज थेल्स मिलकर काम करेंगी। (भारत की घरेलू कंपनियों के लिए करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये के नए व्यावसायिक अवसर पैदा होंगे।

टाटा और लार्सन एंड टुब्रो जैसी प्रमुख भारतीय कंपनियां इस उत्पादन प्रक्रिया में मुख्य भागीदार बनेंगी। भारतीय वायुसेना विमानों में अपनी स्वदेशी अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइल और भारतीय तकनीक को एकीकृत करने पर जोर दे रही है।

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एमएस सुंदरश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने इसे एग्ज़ामिन भी किया। डाक्टर्स ने यह भी मेंशन किया है कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए 24 घंटे मेडिकल निगरानी में रखना जरूरी है।

आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में बेल और परमानेंट पैरोल की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को 24 घंटे के लिए अपनी पसंद का एक प्रशिक्षित केयर गिवर रखने की परमिशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी छूट दी है कि तबीयत बिगड़ने पर वे दोबारा अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट में अपील कर सकते हैं।

अरुणाचल प्रदेश में चार घंटे में भूकंप के 5 झटके

इटानगर, 06 अगस्त। अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार सुबह लगभग 3.40 बजे से 7.17 के बीच भूकंप से पांच बार धरती हिली। सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप 5.1 तीव्रता का भूकंप उपर सियांग जिले में सुबह 5.45 बजे महसूस किया गया। फिलहाल, कहीं से किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

भारतीय भूकंप विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पहला भूकंप सुबह 03.40 बजे उपर सियांग में 2.8 तीव्रता का महसूस किया गया। भूकंप का केन्द्र जमीन में 5 मीटर नीचे था। भूकंप का एपीक सेंटर 28.940 उत्तरी अक्षांश तथा 94.743 पूर्वी देशांत्तर पर स्थित था।

- ये भूकंप के झटके सियांग जिले में प्रातः 3.40 से 7.17 के बीच महसूस किये गए

दूसरा भूकंप सुबह 03.55 बजे उपर सियांग में 3.2 तीव्रता का महसूस किया गया। भूकंप का केन्द्र जमीन में 7 मीटर नीचे था। भूकंप का एपीक सेंटर 28.926 उत्तरी अक्षांश तथा 94.806 पूर्वी देशांत्तर पर स्थित था।

तीसरा भूकंप सुबह 04.34 बजे उपर सियांग में 2.8 तीव्रता का महसूस किया गया। भूकंप का केन्द्र जमीन में 13 मीटर नीचे था। भूकंप का एपीक सेंटर 28.863 उत्तरी अक्षांश तथा 94.890 पूर्वी देशांत्तर पर स्थित था।

चौथा भूकंप सुबह 05.45 बजे उपर सियांग में 5.1 तीव्रता का महसूस किया गया। भूकंप का केन्द्र जमीन में 11 मीटर नीचे था। भूकंप का एपीक सेंटर 29.124 उत्तरी अक्षांश तथा 94.856 पूर्वी देशांत्तर पर स्थित था।

पांचवां भूकंप सुबह 07.17 बजे उपर सियांग में 3.5 तीव्रता का महसूस किया गया। भूकंप का केन्द्र जमीन में 5 मीटर नीचे था।

दीपके ने लॉन्च किया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि लोग देश की वर्तमान स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं और उन्हें किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।"

पार्टी की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, "बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और हम इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे। हम शिक्षा सुधार पर भी काम करेंगे। स्कूली स्तर से ही शिक्षा महंगी होती जा रही है। शिक्षा को मुनाफा कमाने का माध्यम बना दिया गया है, लेकिन हम इसे बदलना चाहते हैं।"

मुंबई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत द्वारा छात्रों से संवाद किए जाने पर दिपके ने कहा, "मुझे लगता है कि यह काफी देर से उठाया गया कदम है। उन्हें 20 जुलाई को ही उन छात्रों से मिलना चाहिए था, जब उन पर लाठीचार्ज हुआ था। मोहन भागवत, जिन्हें मैं भाजपा का वैचारिक मार्गदर्शक मानता हूं, को आगे आकर छात्रों से मिलना चाहिए था।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर यह आंदोलन नहीं हुआ होता और देशभर के इतने युवा सड़कों पर नहीं उतरे होते, तो आखिरी बार इन लोगों ने जैन-ज़ैड से कब बात की थी? पहले इन्हें यह कहकर नज़रअंदाज़ किया जाता था कि ये लोग करते ही क्या हैं, गंभीर नहीं हैं, सिर्फ इंस्टाग्राम पर डांस करते हैं। हां, वे डांस करते हैं, लेकिन कम-से-कम आपकी तरह सड़कों पर दंगे तो नहीं करते।"

पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ सीजेपी के नेतृत्व में हुए आंदोलन का उल्लेख करते हुए दिपके ने दावा किया कि उसी के परिणामस्वरूप केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा।

उन्होंने कहा, "धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों के आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस आंदोलन में केवल छात्र ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा भी शामिल हुए थे।"

आंदोलन को एक महत्वपूर्ण मोड़ बताते हुए दिपके ने कहा, "पिछले 10-12 वर्षों में इस सरकार ने लोगों के मन में जो डर पैदा किया था, वह अब खत्म हो चुका है।"

उन्होंने कहा, "अब लोग सड़कों पर उतरेंगे। आज उन्होंने एक व्यक्ति का इस्तीफा लिया है, कल दूसरे लोगों के इस्तीफे की मांग करेंगे।"

दिपके ने कहा कि भारत की लगभग 60 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वालों में अधिकांश इसी आयु वर्ग के थे।

पार्टी की वैचारिक दिशा स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, "सीजेपी बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप काम करेगी। हमारी विचारधारा भारत के संविधान की विचारधारा है।"

सीजेपी संस्थापक ने मीडिया की विश्वसनीयता बहाल करने की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि लोगों का भरोसा दोबारा जीतना जरूरी है।

इस बीच, केन्द्र सरकार और भाजपा के रणनीतिकार जैन-ज़ैड के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने की रणनीति तैयार करने में जुटे हैं, ताकि चुनावी राजनीति में उनके बढ़ते प्रभाव का मुकाबला किया जा सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा का युवाओं की ओर बढ़ता रुझान इस तथ्य को दर्शाता है कि युवा मतदाता भारतीय राजनीति में लगातार अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

भारत की लगभग 1.4 अरब आबादी में आधे से अधिक लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं। अनुमान है कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक जैन-ज़ैड देश के सबसे बड़े मतदाता समूहों में शामिल होगी और यही वर्ग सत्ता की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

होर्मुज़ को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

5 से 7 प्रतिशत शुल्क लेने की बात कर रहा है, वहीं ओमान ने अधिक सावधानी बरतते हुए 3 प्रतिशत शुल्क का प्रस्ताव रखा है। साथ ही, ईरान ने चेतावनी दी है कि जलडमरूमध्य को दोबारा खोलना मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका अपनी नाकाबंदी को किस तरह जारी रखता है। अमेरिका ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य से ईरानी जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी और खुले समुद्र की ओर जाने की कोशिश करने वाले कई ईरानी जहाजों को वापस लौटा दिया है। इसके अलावा, अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की भी घेराबंदी कर रखी है, जिसका ईरान पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इन नाकाबंदियों और ईरान के तेल व्यापार पर लगे विभिन्न प्रतिबंधों से नाराज़ ईरान ने कहा है कि जब तक अमेरिका अपनी नाकाबंदी और प्रतिबंध नहीं हटाता, तब तक होर्मुज़ जलडमरूमध्य से जहाजों की सामान्य आवाज़ाही संभव नहीं हो सकती। यह बात ईरान के उप विदेश मंत्री ने कही।

अब यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका होर्मुज़ जलडमरूमध्य से ईरानी जहाजों की आवाजाही पर अपनी सख्ती कितनी कम करता है। अमेरिका द्वारा ईरानी जहाजों की घेराबंदी के जवाब में, ईरान ने उन जहाजों पर हमला किया है, जो ईरान की पूर्व अनुमति के बिना इन जल क्षेत्रों से गुज़रने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच, आज अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही पर लगी सभी पाबंदियां ईरान बिना किसी शर्त के तुरंत नहीं हटाता, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईरान अब इसके नतीजों का इंतजार कर रहा है।

पांचना बाँध ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आदेश के बाद भी नहरों में पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा। सुनवाई के दौरान, अदालती आदेश की पालना के लिए राज्य सरकार ने 15 दिन का समय मांगा था। जिस पर अदालत ने राज्य सरकार को समय देते हुए कहा कि यदि नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया तो जिला कलेक्टर और संबंधित अधिकारी पेश हों। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने आदेश की पालना में शपथ पत्र पेश कर दिया।

केन्द्र सरकार ने नीट पेपर लीक रोकने के लिये सुप्रीम कोर्ट में प्लान पेश किया

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से जवाब देने को कहा, मामले की सुनवाई 19 अगस्त को होगी

नई दिल्ली, 06 अगस्त। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीट पेपर लीक रोकने के लिए प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर अनुवाद, प्रिंटिंग और सेंटरों पर पहुंचाने तक की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। प्रश्नपत्र तैयार करने या अनुवाद के वक्त न तो इंटरनेट की सुविधा दी जाती है और न ही फोन या किसी और तरह का गैजट रखने की इजाजत होती है।

जरूरत से पांच गुना ज्यादा प्रश्न तैयार किये जाते हैं और किसी को भी पूरा प्रश्नपत्र मालूम नहीं होता। ये सारी बातें केन्द्र सरकार ने नीट पेपर लीक रोकने के लिए किये गए उपायों का ब्योरा देने वाले अपने ताजा हलफनामे में कही हैं। यह भी कहा गया है कि नीट यूजी परीक्षा को पेन एंड पेपर मोड से हटा कर जईई मेन्स और एडवांस की परीक्षा की तरह कंप्यूटर आधारित मोड में बदलने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को याचिकाकर्ताओं को केन्द्र के इस हलफनामे का जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए सुनवाई 19 अगस्त तक टाल दी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ को सुनवाई के दौरान बताया गया कि केन्द्र

- केन्द्र ने स्पष्ट किया कि प्रश्नपत्र तैयार करते समय न तो इंटरनेट की सुविधा दी जाती है तथा फोन या कोई अन्य गैजट रखने की अनुमति भी नहीं होती है।

सरकार ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए हलफनामा दाखिल कर दिया है।

केन्द्र ने हलफनामे में कहा है कि पिछले अनुभवों और 21 जून 2026 को हुई नीट की दोबारा परीक्षा के अनुभवों के आधार पर एनटीए ने नीट यूजी की एन्ड टु एन्ड समग्र सिक्योरिटी डिजाइन की है। प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा हाल में छात्रों के हाथ में पेपर पहुंचने तक और फिर रिजल्ट घोषित होने तक पूरी प्रक्रिया चाक चौबंद है।

प्रश्नपत्र तैयार करने की शुरुआत प्रतिष्ठित शैक्षिणक संस्थानों के विषय-विशेषज्ञों के एक समूह की पहचान करने से होती है। इन विशेषज्ञों को अलग एक सुरक्षित स्थान पर एकत्र किया जाता है। उस परिसर के अंदर मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण की अनुमति नहीं होती है। परिसर में प्रवेश करने या बाहर जाने वाले हर व्यक्ति की तलाशी ली जाती है।

परिसर सीसीटवी निगरानी में रहता है और केन्द्रीय सशस्त्र बलों द्वारा वहां चौबीसो घंटे सुरक्षा की जाती है। विशेषज्ञ एक व्यापक प्रश्न बैंक तैयार करते हैं, जिसमें वास्तविक जरूरत से कम से कम पांच गुना अधिक प्रश्न शामिल होते हैं। इन प्रश्नों को एक सुरक्षित प्रश्न बैंक में रखा जाता है। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न इस प्रकार चुने जाते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति किसी भी समय पूरे प्रश्नपत्र को देखने या जानने की पूरी जानकारी नहीं रखता हो।

प्रश्नपत्रों के कई सेट तैयार किये जाते हैं, जो अलग अलग होते हैं। प्रश्नों का कोई न ओवरलैप होता है और न ही उन पर काम करने वाले विशेषज्ञों का। इन सेटों को आगे समानांतर रूप से अनुवाद, मुद्रण, पैकेजिंग, परिवहन, और कस्टोडियन बैंक में सुरक्षित भंडारण की पूरी प्रक्रिया से गुजारा जाता है।

यदि परीक्षा से पहले किसी भी चरण में किसी एक सेट से संभावित लीक या सुरक्षा भंग की कोई सूचना मिलती है तो कम से कम समय में किसी अन्य सेट को उसकी जगह प्रतिस्थापित किया जा सकता है। परीक्षा के दिन सुबह यह अंतिम निर्णय लिया जाता है कि उपरोक्त सेटों में से वास्तव में कौन सा सेट उपयोग में लाया जाएगा।

केवल एक ही सेट का उपयोग किया जाता है। अन्य को सील बंद सुरक्षित रखा जाता है। नीट यूजी 13 भाषाओं में होती है। अनुवाद चरण में लीक जोखिम कम करने के लिए एक एयर गैप्ड यानी इंटरनेट से पूरी तरह अलग एआइ असिस्टेड अनुवाद वातारण बनाया जाता है।

एआई असिस्टेड प्रणाली प्रारंभिक अनुवाद तैयार करती है, जिसे बाद में मानव अनुवादक सत्यापित करते हैं। अनुवादकों को बहुत बड़ी संख्या में प्रश्नपत्र दिए जाते हैं, जिनमें से बहुत कम वास्तविक परीक्षा में शामिल होते हैं, ताकि किसी अनुवादक को पता न चल सके कि अंततः कौन से प्रश्न परीक्षा में शामिल होंगे। न ही व्यक्तिगत उपकरणों का उपयोग होता है, न ही कोई बाहरी स्टोरेज माध्यम या क्लाउड कनेक्टिविटी होती है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908